



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)
Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority
(A Statutory Authority Created by an Act of Parliament)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India
एन ए एस सी काम्प्लेक्स, डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली-110012
NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village, New Delhi 110012
Tel: 011 - 25843388, Fax: 011-25840478, E-mail:- la-ppvfra@nic.in

दिनांक : 07.02.2022

सार्वजनिक सूचना
(2022 का 03)

पीपीवी और एफआर नियम , 2003 के नियम 29(1)(ए) के अनुसार , निम्नलिखित फसल प्रजातियों की डीयूएस परीक्षण शुल्क जो नीचे हैं: -

क्र.सं.	पंजीकरण के लिए उपयुक्त फसल प्रजातियां	डीयूएस परीक्षण शुल्कस	ऑन-साइट परीक्षण शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अजवायन (ट्रेकीस्पर्मम अम्मी एल.)	रु. 20,000/-	उपलब्ध नहीं
2	एनाइस (पिंपेनेला एनिसम एल.)	रु. 20,000/-	उपलब्ध नहीं
3.	सेलेरी (एपियम ग्रेविओलेन्स एल.)	रु. 20,000/-	उपलब्ध नहीं
4.	जीरा (क्यूमिनम साइमीनम एल.)	रु. 40,000/-	उपलब्ध नहीं
5.	सुवा (एनेथम ग्रेविओलेन्स एल. और एनेथम सोवा रोकसब)	रु. 20,000/-	उपलब्ध नहीं
6.	सौंफ (फोइनीकूलम वलगेर मिलर)	रु. 40,000/-	उपलब्ध नहीं
7.	कलौंजी (नाइजेला सेटाइवा एल.)	रु. 20,000/-	उपलब्ध नहीं

-हस्ताक्षरित-
(टी. के. नागरत्ना)
पंजीकार